

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 286 / 2013 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 19-11-13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. सतेन्द्र सिंह उर्फ संजू पुत्र जनकसिंह धाकरे उम्र 30 वर्ष।
2. अरविंद सिंह जादोन उर्फ जगदम्बा पुत्र राजवीर सिंह उम्र 30 वर्ष। निवासीगण ग्राम सायना थाना बरासो जिला भिण्ड म.प्र.।
3. सूखे पुत्र जनकसिंह धाकरे उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सायना थाना बरासो जिला भिण्ड म.प्र.।

.....**फरार**

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस.के.तिवारी
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 737 / 2013 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण कं0 286 / 2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 29-7-2015 को घोषित किया गया//

01. अभियुक्तगण सतेन्द्र सिंह उर्फ संजू एवं अरविंद सिंह का विचारण धारा 302 विकल्प में धारा 302/34 एवं धारा 201 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 12-13/05/13 की दरमियानी रात दो से तीन बजे के बीच ग्राम सिंघवारी थाना मालनपुर क्षेत्र में मृतम मानसिंह की साशय या जानबूझकर मृत्यु

कारित कर हत्या की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सह आरोपी के साथ मृतक मानसिंह की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उसकी साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि मृतक मानसिंह की हत्या कारित हुई है जो कि मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दंडनीय है उक्त अपराध की साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से मृतक के शव को सड़क पर डाल दिया जिससे कि साक्ष्य का विलोपन किया जा सके।

02. प्रकरण में सह आरोपी सूखे पुत्र जनकसिंह को फरार घोषित करते हुये उसकी फरारी में अभियोगपत्र पेश किया गया है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 13-05-2013 को फरियादी ऋषिकेश जादोन के द्वारा थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की गई कि वह मालनपुर फैक्ट्री में काम करता है, उसके साथ उसके दाऊ मानसिंह भी रहते हैं। दिनांक 12.05.2013 को अपने गांव ग्राम सायना गया था। शाम आठ बजे उनका फोन आया था तब उसने उसको कहा था कि वह घर पहुँच गया है। रात को करीब दो बजे उसके मौसा अरविंदसिंह का फोन आया कि दाऊ मानसिंह का रात को एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है, तब वह और उसके परिवार के लोग गाडी लेकर के ग्राम सिधंवारी आए तो देखा कि सिधंवारी के सामने मेन रोड पर मानसिंह बीच सड़क पर मृत हालत में पड़े हुए थे जिनके जबड़े में बाईं तरफ चोट लगकर खून निकला हुआ था और बाईं तरफ की कोहनी के पास और घुटने के पास भी चोट लगकर खून निकल रहा था। उसने अरविंद से पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ तो उसने बताया कि रात को दस बजे मृतक मानसिंह ने उन लोगों के साथ खाना खाया और कमरे में चले गए और रात को दो बजे करीब उनने देखा तो खाट पर नहीं थे, उन्हें सड़क पर देखने आये तो उसी बीच किसी वाहन के धड़ाम की आवाज आई, दौड़कर देखा तो किसी अज्ञात वालन के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाकर मानसिंह को टक्कर मारा जाना उसके द्वारा बताया गया जिस पर पुलिस थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 102/13 धारा 304ए भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, मृतक मानसिंह के शव का पंचनामा बनाया गया और शव परीक्षण कराया गया तथा शव को परिजनों को सौंपा गया।

04. प्रकरण में अग्रिम विवेचना के दौरान साक्षी ऋषिकेश जादोन, धनवानसिंह, नेतराम शर्मा व दिनेशसिंह के कथन के दौरान तथा पी.एम रिपोर्ट में आए हुए तथ्यों के आधार पर जिसमें कि आरोपीगण अरविंद, सतेन्द्र व सूखे के द्वारा कुल्हाड़ी और सरिये से उसे मार देना और यह दिखाने के लिए उसकी मृत्यु सड़क एक्सीडेंट में हुई उसे सड़क पर डाल दिया। इस संबंध में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजू उर्फ सतेन्द्र के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके आधिपत्य से एक लोहे की कुल्हाड़ी तथा आरोपी अरविंदसिंह के मेमोरेडम कथन के आधार पर एक लोहे का सरिया जप्त किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी सतेन्द्रसिंह, अरविंद तथा सूखे पुत्र जनकसिंह जो कि फरार होना बताते हुए शेष उपस्थित आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 201 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

06. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है तथा अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

07. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 12-13/5/13 की दरमियानी रात ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर क्षेत्र में मृतक मानसिंह की मृत्यु हुई?
2. क्या मृतक मानसिंह की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्यात्मक प्रकृति का है?
3. क्या आरोपी/आरोपीगण के द्वारा साशय या जानबूझकर मानसिंह की हत्या की?
4. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा मृतक मानसिंह की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए साशय या जानबूझकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की गई?

5. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा यह जातने हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि मानसिंह की हत्या हुई है जो कि मृत्युदण्ड/आजीवन कारावा से दण्डनीय है के अपराध की साक्ष्य विलोपित करने हेतु शव को सड़क पर डाल दिया जिससे कि वैध दण्ड से प्रतिक्षादित हो सकें?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 5 निष्कर्ष:—

08. अभियोजन साक्षी डॉ० राजेन्द्र तरेटिया अ०सा० 4 के अनुसार दिनांक 13.05.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान मृतक मानसिंह जादोन का पोस्टमार्टम 10:15 बजे पोस्टमार्टम किया था। मृतक का शरीर सामान्य आकार का था जो कि चित्त अवस्था में था, मृतक का बायां हाथ छाती पर मुड़ा हुआ था और दायां हाथ सीधा था, दोनों पैर सीधे थे। मृतक ने ग्रे कलकर का पेंट एवं लाल रंग की नेकर व सफेद सन्डो वनियान पहनी हुई थी। मृतक की दोनों आँखें अर्धखुली, पुतली स्थिर व फेली हुई थी, मुँह बंद था। मृतक के चारों हाथ व पैरों पर रायगर मोटिस थी। पी.एम के दौरान मृतक को निम्न चोटें पाई गई—

1. एक अधकुचला घाँव जिसका आकार 5 गुणा 2.5 गुणा 2 से.मी. बाएँ गाली की तरफ थी।
 2. एक अधकुचला घाँव जिसका आकार 5 1/2 गुणा 4 1/2 गुणा 2 1/2 गुणा से.मी. का बाएँ हाथ की अग्र भुजा में था।
 3. अधकुचला घाँव जिसका आकार 4 1/2 गुणा 5 से.मी. जो कि सिर के पीछे की तरफ था एवं वहाँ की हड्डी भी टूटी हुई थी।
 4. एक अधकुचला घाँव जिसका आकार 8 गुणा 4 1/2 गुणा 3 से.मी. बाईं जाघ पर बीच में बगल से लेकर पीछे की तरफ था।
 5. एक नीलगू निशान 4 गुणा 2 से.मी. छाती की दाहिनी तरफ था।
 6. खरौंच का निशान जिसका आकार 6 से.मी. गुणा 4 से.मी. छाती के बीचों बीच में था।
- मृतक के वाह्य परीक्षण में— शारीरिक हाल सामान्य था।

09. **आंतरिक परीक्षण—** मृतक के सिर के पीछे की हड्डी हुई थी, मस्तिष्क और मेरुरज्ज जुड़े हुए थे, सिल्ली पेल थी, पर्दा, पसली कोमलस जुड़े हुए थे, फुसफुस कंजस्टेड था, कंठ, स्वांसनली, दांया व वायां फेफडा पेल था, हृदय का दाहिना चेम्बर खेनू से भरा था और वायां चेम्बर खाली था। पर्दा इन्टेक था, आंतों की झिल्ली मुँह तक ग्रासनली और ग्रसनेय पेल थी। पेट और उसे भीतर की वस्तुओं में अधपचा भोजन तथा गैस थी। छोटी आंत और उसे भीतर खाली था। बड़ी आंत में मल एवं गैस थी। यकृत, प्लीहा, गुर्दा सभी पेल थे। मूत्राशय खाली थ, भीतर और वाहरी जनेन्द्रियाँ जुड़ी हुई थी।

10. उक्त चिकित्सीय साक्षी ने अपने अभिमत में बताया है कि मृतक की मृत्यु शॉक होने की वजह से हुई थी जो कि सिर की पिछली हड्डी टूट जाने से अत्यधिक खून बह गया था एवं मृतक की मृत्यु शव परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11. मृतक मानसिंह की मृत्यु होने का जहांतक प्रश्न है इस संबंध में साक्षी रिषीकेश अ0सा01 के द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 12-5-13 को वह अपने गांव सायना में था और उसके ताउ मानसिंह मालनपुर सिंगवारी रोड स्थित फेक्ट्री में नौकरी करते हैं। उनकी मृत्यु होने की सूचना और मालनपुर सिंगवारी फेक्ट्री वाली रोड पर उनके पड़े होने की सूचना उसे मिली थी तो वह मालनपुर आया और थाने में अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होकर मानसिंह की मृत्यु होने के संबंध में रिपोर्ट थाने में लिखाई थी जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। उक्त रिपोर्ट लिखाया जाना तत्कालीन प्रधान आरक्षक लेखक थाना मालनपुर के गजेन्द्र सिंह अ0सा09 के द्वारा भी प्रमाणित की गयी है। अकाल मृत्यु सूचना प्र0पी02 है पुलिस ने लाश लिखापट्टी एवं सफीना फार्म जारी किया था जो प्र0पी03 है। लाश का पंचायतनामा बनाया जो प्र0पी04 है। लाश पोस्टमार्टम होने के उपरांत उसे मिली थी जिसकी रशीद प्र0पी0 5 है। इस बिन्दु पर साक्षी रामपाल अ0सा05 के द्वारा भी मानसिंह की लाश सिंगवारी रोड के किनारे पड़ी हुयी और पुलिस के द्वारा सफीना फार्म 3 एवं लाश का पंचायतनामा प्र0पी0 4 बनाया जाना तथा खून आलुदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 10 बनाये जाने के बारे में बताया है।

12. अन्य अभियोजन साक्षी अजय प्र0पी03 जिसके मकान में मृतक रहना बताया गया है एवं साक्षी नेतराम शर्मा अ0सा07 के कथन में भी मृतक सिंगवारी रोड पर मानसिंह की मृत्यु हो जाना और मृत अवस्था में देखे जाने के बारे में बताया गया है। इस प्रकार मृतक

मानसिंह की मृत्यु दिनांक 12,13-5-13 की दरम्यानी रात में ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर में होने का तथ्य प्रमाणित होता है । अब विचारणीय हो जाता है कि क्या मृतक की मृत्यु सदोष मानववध की प्रकृति का है ? क्या आरोपीगण के द्वारा सआशय या जानबूझकर मृतक की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की गयी ? क्या मृतक की हत्या कर हत्या की साक्ष्य का विलोपन किया गया है ?

13. वर्तमान प्रकरण से संबंधित साक्षी जो कि फरियादी रिषीकेश के द्वारा उसके ताउ मानसिंह की किसी अज्ञान वाहन के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मारदेने से उनकी मृत्यु हो जाना वाबत् थाना मालनपुर में धारा 304ए भा0द0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध की गयी है और इस संबंध में मार्ग भी प्र0पी0 2 के अनुसार कायम किया गया है । इस संबंध में बाद में प्रकरण की विवेचना के दौरान आये हुये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 302 भा0द0सं0 का इजाफा करते हुये उक्त धारा के अन्तर्गत अभियोगपत्र आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया है । अभियोजन घटनाक्रम के संबंध में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद नहीं है जिसने कि आरोपीगण को मृतक मानसिंह को मारपीट करते हुये उसे चोट पहुंचाते हुये देखा हो । अभियोजन का प्रकरण मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा इस संबंध में आरोपीगण के द्वारा की गयी न्यायिकोत्तर संस्वीकृति पर निर्भर है ।

14. न्यायिकोत्तर संस्वीकृति का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन प्रकरण के अनुसार मृतक मानसिंह के दाहसंस्कार होने के 3-4 दिन पश्चात् आरोपी अरविंद ने फोन पर फरियादी रिषीकेश के द्वारा बताया गया था कि उसने व सतेन्द्र उर्फ संजू व सूखे ने उसके ताउ मानसिंह को मारा है और किसी को बताओगे तो जान से खतम कर देंगे । इसके अतिरिक्त इस संबंध में अभियोजन साक्षी दिनेश सिंह को भी आरोपी संजू उर्फ सतेन्द्र के द्वारा गांव में शराब पीकर यह कहना कि मानसिंह को उसने और अरविंद ने मारा है, यदि किसी ने थाने में रिपोर्ट की तो उसे भी जान से मारडालेंगे की बात बतायी गयी थी ।

15. न्यायिकोत्तर संस्वीकृति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कई प्रकरणों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि न्यायिकोत्तर संस्वीकृति स्वेच्छया से की गयी हो और हत्या करने का तथ्य प्रमाणित हो रहा है तो जिस व्यक्ति से वह की गयी है और जिन परिस्थितियों में वह की गयी है उसे ध्यान में रखते हुये दोषसिद्धी ठहराई जा सकती है, जैसा कि इस संबंध में चतुरसिंह विरुद्ध स्टेट आफ हरियाणा ए0आई0आर0 2012 एस0सी0 378, विष्णूप्रसाद शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान ए

0आई0आर0 2007 एस0सी0 848, सहदेव विरूद्ध स्टेट आफ तमिलनाडू (2012) 6 एस0सी0सी0 403 में अवधारित किया गया है ।

16. न्यायिकोत्तर संस्वीकृति के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी रिषीकेश अ0सा01 और साक्षी दिनेश अ0सा011 को भी परीक्षित कराया गया है, किन्तु अभियोजन के उपरोक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी किसी भी आरोपी के द्वारा कोई भी संस्वीकृति के कथन उनके समक्ष किये जाने के संबंध में कोई बात अपने साक्ष्य कथन के दौरान नहीं बतायी गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों साक्षीगणों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं किन्तु इस दौरान भी उपरोक्त साक्षियों के कथनों में उक्त बिन्दुओं पर अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं हुआ है । इस प्रकार जिन साक्षीगणों के समक्ष न्यायिकोत्तर संस्वीकृति किये जाने का तथ्य बताया गया है उनके द्वारा कहीं भी न्यायिकोत्तर संस्वीकृति के बारे में कोई भी बात साक्ष्य में नहीं बतायी है । ऐसी दशा में आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा कोई न्यायिकोत्तर संस्वीकृति किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है और इस आधार पर विचारित किये जा रहे आरोपीगण व किसी आरोपी के द्वारा अपराध में संलग्न होने या हत्या का अपराध कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होना नहीं पायी जाती ।

17. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निश्चयात्मक होनी चाहिये और परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिये जिससे कि निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती । जैसा कि इस संबंध में शरद उर्फ दीपचन्द्र विरूद्ध स्टेट आफ महाराष्ट्र 1984 एस0सी0सी0 487 तथा स्टेट आफ गोवा विरूद्ध संजय ठकराल (2007)3 एस0सी0सी0 755 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं । परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में निम्न परिस्थिति पूर्ण होनी चाहिये—

1. वह परिस्थिति जिसके आधार पर दोषसिद्ध का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह पूर्णतः प्रमाणित हो ।
2. इस प्रकार से प्रमाणित तथ्य के आधार पर मात्र इस बात की परिकल्पना होनी चाहिए कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है, अन्य कोई भी परिकल्पना जो कि आरोपी के अपराध करने के अतिरिक्त हो विद्यमान नहीं होनी चाहिए ।

3. परिस्थितियां जो कि बताई जा रही हैं वे निश्चयात्मक होनी चाहिए ।
- 4- परिस्थितियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह प्रमाणित तथ्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिकल्पना को नकारती हो ।
- 5- परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो कि इस बात को दर्शाती हो जो कि आरोपी के निर्दोष होने के तथ्य को किसी प्रकार से नहीं छोड़ती हो तथा इस बात को स्पष्ट दर्शाती हो कि इस बात की सभी संभावनाएं हो कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया हो ।

18- वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के घटना में संलग्न होना और उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होने के संबंध में जो परिस्थितियां बतायी गयी हैं वह निम्न प्रकार से हैं :-

- 1-घटना दिनांक को आरोपी मानसिंह को आरोपीगण के साथ जाना और आरोपीगण के साथ मृतक मानसंह को अन्तिम बार देखा जाना ?
- 2-मृतक की हत्या का हेतुक ?
- 3-आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही ?

प्रथम परिस्थिति :-

19- आरोपीगण का मृतक के साथ जाना और उसे उनके साथ अन्तिम बार देखे जाने के संबंध में जहां तक प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि साक्षी धनवानसिंह के द्वारा आरोपीगण को मृतक मानसिंह के साथ सिंगवारी के सड़क के किनारे चक्की के पास जाते हुये देखा था जो कि आरोपी अरविंद सरिया, सतेन्द्र उर्फ सांजू हाथ में कुल्हाडी लिये हुये था और वह वहां से चला गया था उसे बाद में पता चला था कि मानसिंह की मृत्यु हो गयी है । अन्य साक्षी नेतराम शर्मा के द्वारा भी आरोपीगण को घटना स्थल के पास देखा जाना बताया गया है इस संबंध में अभियोजन के द्वारा साक्षी धनवानसिंह अ0सा02, नेतराम शर्मा अ0सा07 का परीक्षण कराया गया है । किन्तु उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा उपरोक्त संबंध में अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है । इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथन में कहीं भी वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण को मृतक मानसिंह के साथ अन्तिम बार देखे जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती ।

द्वितीय परिस्थिति :-

20. मृतक मानसिंह की हत्या कारित करने के हेतुक का जहां तक प्रश्न है । वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण का मृतक मानसिंह की हत्या करने हेतु कोई भी हेतुक होना और उस हेतुक के कारण उनके द्वारा मानसिंह की हत्या की गयी हो का कोई भी तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता ।

तृतीय परिस्थिति :-

21. अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के अपराध में संलग्न होने के संबंध में यह आधार बताया गया है कि घटना के पश्चात् आरोपी सतेन्द्र उर्फ संजू के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसके द्वारा पेश करने पर एक कुल्हाड़ी जिसमें खून लगा हुआ था की जप्ती की गयी है तथा आरोपी अरविंद के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसके द्वारा पेश किये जाने पर एक लोहे का सरिया जप्त किया गया है । मृतक को आयी हुयी चोटों के संबंध में चिकित्सक के द्वारा अपने अभिमत में मृतक को आयी हुयी चोटें कुल्हाड़ी से आ सकने के संबंध में अभिमत दिया गया है । ऐसी दशा में उक्त आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होती है ।

22. उपरोक्त संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी शेरसिंह अ0सा010 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उन्होंने मृतक मानसिंह के संबंध में चिकित्सक से क्योरी करायी थी जो कि क्योरी रिपोर्ट प्र0पी0 18 है । तत्पश्चात् विवेचना के दौरान आरोपी सतेन्द्र उर्फ संजू को दिनांक 22-6-13 को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गयी थी तो पूछताछ के दौरान उसने घटना में प्रयुक्त की गयी कुल्हाड़ी मोदी फेक्ट्री में छिपाकर रखी होना और चलकर बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 7 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । आरोपी के बताये अनुसार उसके पेश करने पर एक कुल्हाड़ी जिस पर खून के धब्बे लगे हुये थे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 8 बनाया था । आरोपी अरविंद को दिनांक 20-9-13 को हनुमान चौराहा मालनपुर में गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ की गयी थी तो उसने घटना में प्रयुक्त सरिया मोदी फेक्ट्री के पीछे रखना एवं चलकर बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 15 है जिसके आधार पर दिनांक 21-9-13 को आरोपी अरविंद के बताये अनुसार पेश करने पर एक सरिया जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 16 का बनाया था ।

23. सर्वप्रथम आरोपी सतेन्द्र उर्फ संजू के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसके

पेश करने पर कुल्हाडी की जप्ती का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षीगण ऋषीकेश अ0सा01 एवं धनवान अ0सा02 का परीक्षण अभियोजन के द्वारा कराया गया है। किन्तु उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी संजू उर्फ सतेन्द्र से उनके समक्ष कोई पूछताछ कर उसका कथन लेखबद्ध किया जाना तथा उसके आधार पर आरोपी सतेन्द्र से किसी प्रकार की कोई जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है किन्तु इस आधार पर भी इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं हुयी है। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से आरोपी संजू उर्फ सतेन्द्र के बताये अनुसार कुल्हाडी की जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं है।

24. इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी शेरसिंह के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहां तक प्रश्न है इस संबंध में उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जिस जगह से उनके द्वारा कुल्हाडी जप्त की वहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है और वह स्थान खुला स्थान है। जिस प्रकार की कुल्हाडी जप्त की गयी वह बाजार में मिलजाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि घटना जो कि दिनांक 12,13-5-13 की दरम्यानी रात्री की होना बतायी जा रही है उक्त घटना के 1 माह 10 दिन पश्चात् कथित जप्ती की कार्यवाही की जाना बताया गया है। इस संबंध में जप्ती कर्ता अधिकारी के द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से संपुष्ट भी नहीं है अतः उक्त कार्यवाही युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

25. इसी प्रकार अन्य आरोपी अरविंद के आधिपत्य से सरिया की जप्ती का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में भी स्वतंत्र साक्षी अशोक शिवहरे अ0सा08 के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि इस बिन्दु पर अन्य साक्षी आरक्षक पवनसिंह अ0सा06 ने जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किया गया है। निश्चिततौर से उक्त साक्षी जो कि पुलिस थाना मालनपुर में ही आरक्षक के पद पर पदस्थ था जबकि मौके पर अन्य स्वतंत्र साक्षी भी उपलब्ध हो सकते हैं उसके कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही आरोपी अरविंद से सरिया की जप्ती का तथ्य भी युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

26. यदि तर्क के रूप में यह मान भी लिया जाये कि आरोपी सतेन्द्र से कुल्हाडी की जप्ती एवं आरोपी अरविंद से सरिया की जप्ती की गयी है फिर भी इस संबंध में यह

उल्लेखनीय है कि सरिया पर कोई भी खून का निशान होना नहीं पाया गया है और न ही मृतक के शरीर पर सरिया से चोट आने के निशान आये हैं । जप्त की गयी कुल्हाड़ी का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र0सी01 में जप्त सुदा कुल्हाड़ी पर मानव रक्त होना पाये जाने का उल्लेख है । किन्तु कुल्हाड़ी पर कथित मानव रक्त मृतक का ही रक्त है ऐसा कहीं भी अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । ऐसी दशा में यदि जप्त सुदा कुल्हाड़ी पर मानव रक्त पाया गया है तो मात्र इस आधार पर घटना में आरोपी के द्वारा उक्त कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया हो तथा आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

27. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मृतक मानसिंह की मृत्यु की प्रकृति मानव वध की कोटि का होकर हत्यात्मक प्रकार का होना प्रमाणित नहीं होता है तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी या किसी आरोपी के द्वारा मृतक मानसिंह की हत्या सआशय या जानबूझकर की गयी हो और उसकी हत्या कर साक्ष्य का विलोपन किया गया हो जिससे कि वैध दण्ड से प्रतिष्ठादित हो सके ।

28. अतः प्रकरण में आयी हुयी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता । आरोपीगण संजू उर्फ सतेन्द्र तथा अरविंद को धारा 302 विकल्प में धारा 302/34 एवं 201 भा0द0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

29. प्रकरण में सह आरोपी सूखे पुत्र जनकसिंह फरार है अतः प्रकरण में जप्त सुदा संपत्ती का निराकरण सूखे पुत्र जनकसिंह के विचारण के बाद ही किया जाये । उक्त आरोपी फरार होने की दशा में प्रकरण को सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण दाखिल रिकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड